(ङ) क्या इस व्यवस्था के निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे कि रेलवे इस हानि को समाप्त करके लाभ अर्जित कर सके; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विभागीय तौर पर संचालित कई खानपान यूनिटें भारी नुकसान पर चल रही हैं।

पिछले तीन वर्षों अर्थात, 1987–88, 1988–89 तथा 1989–90 के दौरान भारतीय रेलों पर विभागीय खानपान यूनिटों की समग्र हानि क्रमशः 27.9 लाख रुपये, 71.5 लाख रुपये तथा 25.5 लाख रुपये थी।

(ग) और (घ) खर्च पर कड़ी निगरानी रखने, बिक्री अभियान चलाने, कर्मचारी को पुनः काम पर लगाने आदि जैसे कई उपाय किये गए हैं। कई विभागीय यूनिटों को लगातार नुकसान हो रहा है।

(ङ) और (च) सभी विभागीय खानपान यूनिटों को प्राइवेट क्षेत्र को सौंपने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु कुछ ऐसी विभागीय खानपान यूनिटों का गैर विभागीकरण करने का प्रस्ताव है जो नुकसान पर चल रही हैं।

देश में इस्पात की आवश्यकता

927. श्री रणजीत सिंह :

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार जो कदम उठाने का विचार रखती है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो 1995 के अन्त में देश में इस्पात की मांग कितनी होगी;

(ग) क्या सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए देश में इस्पात के उत्पादन की व्यवस्था कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क), (ग) और (घ) देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उपायों द्वारा समय-समय पर इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

—वर्धित उत्पादन हासिल करने के लिए इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और संयंत्र और उपस्करों का उन्नत अनुरक्षण।

—इस्पात संयंत्रों को आदानों विशेष रूप से कोयले और बिजली की सप्लाई का प्रबोधन, ताकि बिना व्यवधान के उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

—विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को अपनी क्षमता वार्षिक 2.5 लाख टन तक बढ़ाने की अनुमति।

—निजी क्षेत्र में भारी क्षमता वाले नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना की अनुमति देना।

—विशेष रूप से विशिष्ट श्रेणियों की शेष मांग को आयात से पूरा किया जाएगा।

(ख) लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार आठवीं योजना के अन्त में तैयार इस्पात की मांग 220 लाख टन होगी।

दिल्ली में फ्लाई ओवरों का निर्माण

928. **श्री लक्ष्मण कुमार बिरला :**
श्री गुफरान आलम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अर्बन आर्टस् कमीशन" ने राजधानी में फ्लाई ओवरों के निर्माण

को मंजूरी दिए जाने संबंधी मामले को लम्बित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजधानी में फ्लाई ओवरों के निर्माण हेतु मंजूरी दिए जाने में किए गए विलम्ब के कारण राजधानी में यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार राजधानी में फ्लाई ओवरों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए और क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली नगर कला आयोग ने राजधानी में फ्लाई ओवरों के निर्माण को मंजूरी देने को लम्बित रखा है। दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किये गये 9 प्रस्तावों में से आयोग द्वारा 6 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। शेष 3 प्रस्तावों पर आयोग द्वारा फ्लाई ओवरों के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुये दिल्ली प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। यह आशा है कि आयोग द्वारा इन प्रस्तावों पर यथा-समय निर्णय लिया जायेगा। यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा मंजूरी देने में विलम्ब के कारण यातायात व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि दिल्ली में यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले बहुत से अन्य कारण हैं।

Implementation of Bhachawat Wage Board recommendations

929. SHRI KAPIL VERMA:

SHRIMATI VEENA VERMA:

CHOWDHRY HARI SINGH:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have any information about the number of newspapers establishment in the country who have implemented or not implemented or only partially implemented the Bhachawat Wage Board recommendations;

(b) what action has been taken against the defaulting newspaper establishments who have not fully implemented so far these recommendations;

(c) whether any State Government's have sent their reports in this connection and if so, what action have they taken against the defaulters; and

(d) whether any guidelines, if any, have been issued by the Centre to the State Governments in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (INDEPENDENT CHARGE) (SHRI K. RAMAMURTHY): (a) to (d) According to information supplied by the State Governments/Union Territory Administrations, out of 1662 newspaper establishments, 542 have fully implemented, 49 have partially implemented and 1071 have not implemented the recommendations of Bhachawat Wage Boards.

As the onus for implementation of provisions of Working Journalists and non-journalist Newspaper Employees (Condition of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955 lies on the State Governments, the Central Government has been impressing upon the State Governments/ Union Territory Administrations for effective implementation of Bhachawat Wage Boards' recommendations. While the State Governments have not indicated major cases of complaints filed by the newspaper employees for non-compliance with the provisions of the Act, 23 writ petitions against the Bhachawat Wage Boards Award and the notifications issued by the Central Government thereon, are pending in the Supreme Court. The Supreme Court, in its interim order dated 30.1.90, have *inter-alia* observed that no prosecution shall be launched until these cases are disposed of. The Central Government have advised the State Governments/ Union Territory Administrations to set up Tripartite Committees/Special Cells to monitor the progress towards implementation of Bhachawat Wage Boards recommendations.